रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 33] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 2, 2015/पौष 12, 1936
No. 33] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 2015/PAUSHA 12, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2014

का.आ. 36(अ).—जबकि मध्य प्रदेश राज्य में रारा-12 के किमी 359.10 में पार्वती पुल पर प्रयोक्ता फीस का संग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग (स्थायी पुलों के उपयोग के लिए फीस) नियमावली, 1992 के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है ।

और जबकि उपर्युक्त परियोजना के लिए प्रयोक्ता फीस के संग्रहण हेतु सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी कोई विद्यमान प्रयोक्ता फीस अधिसूचना नहीं है ।

अब, इस परियोजना पर प्रयोक्ता फीस का संग्रहण व्यवहार्य नहीं होगा क्योंकि प्रयोक्ता फीस संग्रहण के माध्यम से मासिक राजस्व सा.का.नि. 15(अ) दिनांक 12.01.2011 के अनुसार प्रयोक्ता फीस को 40% तक कम किए जाने के पश्चात तथा सं. का.आ. 26(अ) दिनांक 16.01.2014 के अनुसार 10 के गुणक से बढ़ाकर अवसंरचना की लंबाई को राजमार्ग की लंबाई के बराबर परिवर्तित करने के पश्चात प्रयोक्ता फीस के संग्रहण के लिए मासिक व्यय से कम होगा इसलिए सा.का.नि. 838(अ) दिनांक 05.12.2008 के तहत प्रकाशित राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियमावली, 2008 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में रारा-12 के किमी 359.10 में पार्वती पुल पर प्रयोक्ता फीस के उदग्रहण को विमुक्त करती है ।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12037/35/2014/एमपी/पी-5]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2014

S.O. 36(E).—Whereas the user fee at Parvati bridge at km. 359.10 of NH-12 in the State of Madhya Pradesh is being collected by the State Government of Madhya Pradesh in accordance with the National Highways (Fees for use of permanent bridges) Rules, 1992.

And whereas there is no existing user fee notification issued by Ministry of Road Transport and Highways for the collection of user fee for the aforesaid project.

Now, in exercise of the powers conferred by rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published *vide* G.S.R. 838(E), dated 05.12.2008, the Central Government hereby exempts Parvati bridge at km. 359.10 of NH-12 in the State of Madhya Pradesh from levy of user fee as the collection of user fee would not be viable as the monthly revenue through user fee collection would be less than monthly expenditure for collection of user fee after reducing the user fee to 40% as per G.S.R. 15(E) dated 12.01.2011 and converting the length of the structure into an equivalent length of highway by multiplying by a factor of ten as per G.S.R. 26(E), dated 16.01.2014.

[F. No. RW/NH-12037/35/2014/MP/P-5]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2014

का.आ. 37(अ).—जबकि ओडिशा राज्य में रारा-6 (नई रारा सं. 49) के कि.मी. 280/0 में बंधन पुल पर प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण, राष्ट्रीय राजमार्ग (स्थायी पुलों का प्रयोग करने के लिए शुल्क) नियम, 1992 के अनुपालन में दिनांक 29.11.1995 के आदेश सं. 27257 के तहत ओडिशा राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है ।

अब, केन्द्रीय सरकार, सा.का.नि. 838(अ), दिनांक 05.12.2008 के तहत प्रकाशित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओडिशा राज्य में रारा-6 (नई रारा सं. 49) के किमी 280/0 में बंधन पुल पर प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण से एतद्वारा मुक्त करती है क्योंकि प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण, प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण के माध्यम से सा.का.नि. 15(अ), दिनांक 12.01.2011 के अनुसार प्रयोक्ता शुल्क 40% घटाने के पश्चात और सा.का.नि. 26(अ), दिनांक 16.01.2014 के अनुसार संरचना की लंबाई को दस के गुणक से गुणा करके राजमार्ग की लंबाई के समतुल्य बदलने में प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण के लिए मासिक व्यय की तुलना में कम होगा जो मासिक राजस्व के रूप में अर्थक्षम नहीं होगा ।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12037/34/2014/ओआरएस/पी-5]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2014

S.O. 37(E).—Whereas the user fee at Bandhan bridge at km. 288/0 of NH-6 (New NH-49) in the State of Odisha is being collected by the State Government of Odisha vide order No. 27257 dated 29.11.1995 in accordance with the National Highways (Fees for use of permanent bridges) Rules, 1992.

Now, in exercise of the powers conferred by Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838(E) dated 05.12.2008, the Central Government hereby exempts Bandhan bridge at km. 288/0 of NH-6 (New NH-49) in the State of Odisha from levy of user fee as after reducing the user fee to 40% in accordance with G.S.R. 15(E) dated 12.01.2011 and converting the length of the structure into an equivalent length of highway by multiplying by a factor of ten as per G.S.R. 26 (E) dated 16.01.2014, the monthly revenue would be less than monthly expenditure for managing the toll plaza and it would thus not be financially viable.

[F. No. NH-12037/34/2014/ORS/P-5]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 नवम्बर, 2014

का.आ. 38(अ).—जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में रारा-30 के किमी 296/2-4 में इन्द्रावती पुल पर प्रयुक्त शुल्क का संग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग (स्थायी पुलों का प्रयोग करने के लिए शुल्क) नियम, 1992 के अनुपालन में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा एकत्र किया जा रहा है ।

और जबकि पूर्वोक्त परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी की गई कोई मौजूदा प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना नहीं है ।

अब, केन्द्रीय सरकार, सा.का.नि. 838(अ), दिनांक 05.12.2008 के तहत प्रकाशित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में रारा-30 के किमी 296/2-4 में इन्द्रावती पुल पर प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण से एतद्वारा मुक्त करती है क्योंकि प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण, प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण के माध्यम से सा.का.नि. 15(अ), दिनांक 12.01.2011 के अनुसार प्रयोक्ता शुल्क 40% घटाने के पश्चात और सा.का.नि. 26(अ), दिनांक 16.01.2014 के अनुसार संरचना की लंबाई को दस के गुणक से गुणा करके राजमार्ग की लंबाई के समतुल्य बदलने में प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण के लिए मासिक व्यय की तुलना में कम होगा जो मासिक राजस्व के रूप में अर्थक्षम नहीं होगा ।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12037/36/2014/एसीजी/पी-5]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th November, 2014

S.O. 38(E)—Whereas the user fee at Indrawati bridge at km. 296/2-4 of NH-30 in the State of Chhattisgarh is being collected by the State Government of Chhattisgarh in accordance with the National Highways (Fees for use of permanent bridges) Rules, 1992.

And whereas there is no existing user fee notification issued by Ministry of Road Transport and Highways for the collection of user fee for the aforesaid project.

Now, in exercise of the powers conferred by rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R. 838(E) dated 05.12.2008, the Central Government hereby exempts Indrawati bridge at km. 296/2-4 of NH-30 in the State of Chhattisgarh from levy of user fee as the collection of user fee would not be viable as the monthly revenue through user fee collection would be less than monthly expenditure for collection of user fee after reducing the user fee to 40% as per G.S.R. 15(E) dated 12.01.2011 and converting the length of the structure into an equivalent length of highway by multiplying by a factor of ten as per G.S.R. 26(E) dated 16.01.2014

[F. No. RW/NH-12037/36/2014/CG/P-5]

ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.